झारखंड उच्च न्यायालय,रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 6275/2011

राजेंद्र प्रसाद .....याचिकाकर्ता

1. झारखण्ड राज्य ।

2. सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, रांची ।

3. प्रमुख निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखंड सरकार, रांची ।

4. रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो- साइकियाट्री एंड एलाइड साइंस (आरआईएनपीएएस),निदेशक, कांके, रांची के माध्यम से ।

5. भारत संघ सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।

6. थल सेनाध्यक्ष, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

7. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, रांची।

....प्रतिवादी गण

न्यायालय: माननीय डॉ. न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शैबाल मित्रा, अधिवक्ता
श्री अक्षय कुमार महतो, अधिवक्ता

प्रतिवादी गण के लिए : श्री सुरेश कुमार, एससी (एल एंड सी)
डॉ. ए. के. सिंह, अधिवक्ता
श्री रवि प्रकाश , सीजीसी

14/12.02.2024 दोनों पक्षों को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने 29.06.2010 के आदेश का विरोध किया है, जिसके तहत संशोधित पेंशन के लिए उसके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वह भारतीय सेना से मानद लेफ्टिनेंट और कैप्टन के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, जो ग्रुप 'ए' सेवा के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह ग्रुप 'बी' है और इस तरह, वह वेतनमान के लिए हकदार नहीं है जिसका वह दावा कर रहा है।

3. इस मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 1498/2007 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा रिकार्ड पर लाए गए दस्तावेजों पर विचार करते हुए, दिनांक 29.06.2010 के तर्कपूर्ण आदेश द्वारा, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है और इसलिए, वह एक बार फिर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य हुआ है।

4. विद्वान वकील श्री शैबाल मित्रा, जिनकी सहायता के लिए याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री अक्षय कुमार महतो उपस्थित हुए, ने आरोपित आदेश का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रतिवादियों ने केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 02.07.1999 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी परिपत्र को स्वीकार किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के पद का आकलन करने में सही नहीं हैं, जब यह पहले ही तय हो

चुका है कि याचिकाकर्ता का पद लेफ्टिनेंट था और उसने 10,500/- रुपये के अपने वेतनमान को ध्यान में रखते हुए पेंशन लाभ प्राप्त किया है और उस संबंध में पीपीओ भी जारी किया गया है। अब प्रतिवादी-आरआईएनपीएएस के लिए इसे तर्कसंगत आदेश के माध्यम से बदलने का विकल्प नहीं है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता को वेतनमान दिया गया है जिसका उल्लेख विज्ञापन में किया गया था विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जो मामला तय हो चुका है, उसे प्रतिवादी-आरआईएनपीएएस द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी- भारतीय संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रवि प्रकाश ने याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों पर विवाद नहीं किया है, जो कि मुख्य सी.डी.ए. (पेंशन), इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं और प्रस्तुत किया है कि चूँकि सेवानिवृत्ति के समय याचिकाकर्ता की सभी शिकायतें पहले ही निपटा दी गई थीं, अब सेवानिवृत्ति के बाद जब वह प्रतिवादी- आरआईएनपीएएस में शामिल हुए, तो यह प्रतिवादी-आरआईएनपीएएस है जिसे याचिकाकर्ता की शिकायतों का निपटारा करना है, यदि कोई हो, न कि भारत संघ द्वारा। याचिकाकर्ता संशोधित पेंशन के लिए पात्र नहीं है और विज्ञापन में जो उल्लेख किया गया है, वही याचिकाकर्ता को दिया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतें मान्य नहीं हैं। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ता संशोधित पेंशन के लिए पात्र हो, इस पर भारत संघ को विचार करना होगा जहां से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुआ है और यह प्रतिवादी- आरआईएनपीएएस नहीं है जहां याचिकाकर्ता भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त हुआ है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि प्रतिवादी - आरआईएनपीएएस एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए भारत संघ द्वारा जारी कोई भी परिपत्र / ज्ञापन उस पर बाध्यकारी नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनने के बाद, यह न्यायालय इस मत पर है कि चूंकि पूर्व में याचिकाकर्ता ने सिविल रिट (एस) संख्या 1498/2007 में इस न्यायालय में याचिका दायर की थी और प्रतिवादियों ने स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1999 के परिपत्र निःसंदेह याचिकाकर्ता के मामले पर लागू होंगे, अब इस स्तर पर प्रतिवादी द्वारा इसका विरोध नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, मुख्य सी.डी.ए. (पेंशन इलाहाबाद) के कार्यालय द्वारा जारी पी.पी.ओ. के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को संशोधित वेतनमान 10,500/- रुपये दिया गया है।

8. इस चरण में तय किया जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या रैंक याचिकाकर्ता ग्रुप-'ए' या ग्रुप 'बी' सेवा में आता है। चूंकि याचिकाकर्ता मुख्य सी.डी.ए. (पेंशन), इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा जारी पी.पी.ओ. के मद्देनजर वेतन संरक्षण के माध्यम से संशोधित वेतनमान का दावा कर रहा है, जो कि विवादित नहीं है, इसलिए न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता इसके लिए हकदार है। प्रतिवादी- आरआईएनपीएएस के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क चूंकि आरआईएनपीएएस एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए कोई भी अधिसूचना और परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

9. चूंकि याचिकाकर्ता 10,500/- रुपये के वेतनमान में वेतन संरक्षण और संशोधित पेंशन का हकदार है, इसलिए 29.06.2010 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वे लाभ प्रदान करें, जिसके लिए वह हकदार है।

10. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(डॉ. एस.एन. पाठक, न्यायमूर्ति)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।